

अतुल - प्रसूचना नं 06/2015

दिनांक	आशा पत्र
--------	----------

18-10-19



पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त में आवत दी गई थी कि  
आगामी तिथि से पूरा तामील से शेष जस्टिस नोटिस पेश कर  
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम के तहत अपील खारिज  
कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपील के रजिस्टर्ड नोटिस  
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपना अपील के प्रति गम्भीर  
नहीं है। फलस्वरूप अपीलान्त आदेश 9 नियम 9 सा.प.सी. के अन्तर्गत  
की जाती है। निर्णय से इजाजत के बिना अपीलान्त को अपीलान्त  
के कम होकर बाद तारीख तकमील दाखिल करना है।

सत्यमेव जयते  
Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर